न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–25/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. संतोष पुत्री स्व0 श्री हीरालाल पौत्री स्व0 श्री विशनचंद पत्नि श्री सत्यपाल जाति ओड राजपूत हाल निवासी ग्राम नीकच तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. बनवारी पुत्र बिशनचंद जाति ओड राजपूत निवासी ग्राम नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर
2. शीलोबाई पत्नी श्री सोमनाथ
3. दिलीप पुत्र स्व0 श्री सामनाथ
4. संजय पुत्र स्व0 श्री सोमनाथ
5. जीतसिंह पुत्र स्व0 श्री सोमनाथ जाति ओड राजपूत निवासीयान ग्राम नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण/असल रेस्पोडेण्टस

6. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश अलवर जिला अलवर राज0।
7. तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादी/ रेस्पोडेण्टान

8. जुबरिया पुत्र जगराम जाति जाट नि0 नंगली मेघा
9. घम्मन पुत्र चुन्ना जाति जाट नि0 नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....तर0 प्रति0/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री राकेश यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

अपील सं0:–26/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. संतोष पुत्री स्व0 श्री हीरालाल पौत्री स्व0 श्री विशनचंद पत्नि श्री सत्यपाल जाति ओड राजपूत हाल निवासी ग्राम नीकच तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. बनवारी पुत्र बिशनचंद जाति ओड राजपूत निवासी ग्राम नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर
2. शीलोबाई पत्नि श्री सोमनाथ
3. दिलीप पुत्र स्व0 श्री सामनाथ
4. संजय पुत्र स्व0 श्री सोमनाथ
5. जीतसिंह पुत्र स्व0 श्री सोमनाथ जाति ओड राजपूत निवासीयान ग्राम नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण/असल रेस्पोडेण्टस

6. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश अलवर जिला अलवर राज0।
7. तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादी/ रेस्पोडेण्टान

8. भौरा पुत्र भागीरथ,
9. रामजीवन पुत्र भागीरथ,
10. चन्दा पुत्र झूथा,
11. देवकरण पुत्र भौरा,
12. किशना पुत्र भंवरिया,
13. मांग्या पुत्र नन्दा,
14. पून्याराम पुत्र गणेश, जाति राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर,
15. रामपाल पुत्र बाल्या मीणा निवासी बगड राजपूत,
16. रामसहाय पुत्र कन्हैया राजपूत निवासी बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर

.....तर0 प्रति0/ रेस्पो0

उपस्थित :–
3. श्री राकेश यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
4. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.02.2021

यह दों अपीलें विद्धान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण असल रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 ने रेस्पो0 संख्या 06 व 07 को असल प्रतिवादीगण व शेष रेस्पो0 को तरतीबी प्रतिवादीगण बनाते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, रामगढ के यहां एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया कि बंदोबस्त संवत 2020 से पूर्व आराजीयात खसरा नंबर साबिक 07 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 09 रकबा 14 बिस्वा, 10 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, जिनके बंदोबस्त संवत 2020 में खसरा नंबर 08 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 11 रकबा 1 बीघा

08 बिस्वा, 18 मिन रकबा 14 बिस्वा, 21/748 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, जिनके संवत 2058 में खसरा नंबर हाल 20 रकबा 49 ऐयर, 23 रकबा 35 ऐयर, 46 रकबा 18 ऐयर, 51 रकबा 31 ऐयर कायम हुये हैं, ग्राम नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मुतनाजा वादीगण के बुजुर्गान को पाकिस्तान से भारत आने पर रिफ्यूजी बतौर सरकार दी गई थी। जिस पर वादीगण के बुजुर्ग विशनचन्द काबिज दाखिल हो गये थे। उक्त वादग्रस्त आराजीयात की अलोटमेंट खतौनी संख्या 87 भी हम वादीगण के बुजुर्गान विशनचन्द के नाम जारी है। उक्त आराजी के आवंटी विशनचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी मृत्यु पश्चात आराजीयात पर वादीगण काबिल चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा वादी संख्या 01 का तथा शेष 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 02 लगायत 05 का अंश वो हिस्सा है। वादीगण इस विश्वास में थे कि हम वादीगण के बुजुर्ग विशनचन्द को भारत आने पर सरकार द्वारा अलोट की गई उक्त आराजीयात विशनचन्द के नाम खातेदारी में दर्ज होकर उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण के नाम सालिम रूप में दर्ज वो अंकित हो गई होगी। किन्तु अब नकलें राजस्व रिकार्ड प्राप्त की तो पता चला कि राजस्व अभिलेख में सहबन वो त्रुटिपूर्वक तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी(कस्टोडियन) दर्ज है। तहत अदालत द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर उक्त वाद वादीगण दिनांक 30.08.2010को डिक्री कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने गलत तथ्यों के साथ तहत अदालत में दावा पेश किया और अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया तथा अपीलांट को जानबूझकर दावे में पक्षकार नही बनाया गया, जबकि अपीलांटा श्री विशनचंद के पुत्र हीरालाल की एकमात्र पुत्री वो जायज वारिस काबिज जायदाद है। संतोष अपने मामा के गांव घासोली में पली बढी है। अपीलांट को इस दावे के निर्णय व डिक्री होने की कोई जानकारी नही थी। अपीलांटा का विवादित आराजी में हित निहित है, किंतु तहत अदालत में अपीलांटा पक्षकार मुकदमा नही थी इसलिये अपीलांटा को अपील पेश करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का लिखित जबाव पेश किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा पेश जबाव प्रार्थना पत्र 96 में अंकित किया गया है कि मिन रेस्पो0 वादीगण ने तहत अदालत में दावा सही तथ्यों के साथ पेश किया था जिसे तहत न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा तथ्यों, मौके, कब्जे, रिकार्ड के आधार पर विधि सम्मत रूप से डिक्री फरमाया गया था। प्रार्थीया तहत न्यायालय में आवश्यक पक्षकार मुकदमा नही थी क्योंकि प्रार्थीया स्व0 हीासलसल की पुत्री नही होने के कारण मिन अप्रार्थी रेस्पो0 के कुटुम्ब परिवार की सदस्य नही है। परिवार का सजरा अंकित किया गया है। विशनचन्द के पुत्र हीरालाल की पत्नि इन्द्रोबाई थी तथा हीरालाल के नुत्फे से इन्द्रोबाई को कोई संतान नही हुई अर्थात हीरालाल निसंतान फौत हुआ था। हीरालाल के स्वर्गवास के बाद उसकी पत्नि इन्द्रोबाई ने दूसरी शादी ग्राम मेघावास के किशनलाल से घरवासा करके कर ली तथा किशनलाल के नुत्फे से प्रार्थीया संतोष पैदा हुई है।इस तरह प्रार्थीया संतोष

स्व0 श्री हीरालाल की पुत्री नही थी, जिस कारण वह विशनचन्द के कुटुम्ब परिवार की सदस्य ही नही है और हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार नही है। लिहाजा कानूनन प्रार्थीया को अपील पेश करने की इजाजत प्रदान नही की जा सकती है।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने इसके खण्डन में कथन किया कि विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 अरसे दराज से काबिज है और रेस्पो0 विशनचंद के उत्तराधिकारी हैं। इस बाबत तहत अदालत द्वारा भी तरतीबी रेस्पो0 को न्यायालय में हाजिर होने हेतु अखबार में नोटिस साया करवाया था, तब भी कोई उपस्थित नही हुआ। अपीलांटा चाहती तो उस समय न्यायालय में पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर सकती थी। अपीलांटा द्वारा एक काल्पनिक कहानी बनाकर उसको कानूनी जामा पहनाने के लिये तथाकथित टीसी की छायाप्रति पेश की है। प्रथम तो अपील में वह दस्तावेज जिसके आधार पर अपील लेकर आये हैं, सत्यप्रतिलिपि पेश करनी चाहिये थी अन्यथा इसके अभाव में वे दस्तावेज जो प्रोपर कस्टडी में है और प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती हो, उनकी छायाप्रति पढे ही नही जाते हैं। दूसरा, संतोष लडका है, लडकी है या वह दूसरे गांव का है, इसका भी उल्लेख नही है। अपीलांट का हक तभी माना जायेगा जब वह हीरालाल के उत्तराधिकारी का सक्षम प्रमाण पत्र पेश करे। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा आरआरटी 2017(1)पेज 613 का दृष्टांत पेश किया गया।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।

अपील मीमो के पेज संख्या 06 बिंदु संख्या 05 के अनुसार अपीलांटा ने हीरालाल व उसकी पत्नि इन्द्रोबाई के नुत्फे से संतोष का पैदा होना अंकित किया है तथा बाद में हीरालाल की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी पत्नि इन्द्रोबाई ने किशनचंद निवासी मेघाबास से घरबासा कर लिया, जबकि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र 96 के बिंदु संख्या 02 के अनुसार हीरालाल लाऔलाद फौत हो गया था तथा उसकी बेवा इन्द्रोबाई ने दूसरी शादी मेघाबास के किशनलाल से की जिसके नुत्फे से अपीलांटा संतोष पैदा हुई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जो टीसी पेश की गई है वह प्रमाणित दस्तावेज नही है, ऐसे में इसको रिकार्ड पर नही लिया जाकर पढा नही जा सकता है। अपील मीमो के किसी भी कथन की ताईद में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नही है, न ही अपील मीमो में किसी दस्तावेज का अंकन है जिससे अपीलांटा का, हीरालाल की पुत्री होने का उल्लेख हो। अपील मीमो के साथ छाया प्रति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घासोली का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रवेशांक 2269, छात्र का नाम संतोष, पिता का नाम हीरालाल, व्यवसाय कृषि अंकित है परन्तु पिता हीरालाल का पता ग्राम पो0 घासोली अंकित है, जबकि अपील मीमो के साथ प्रस्तुत छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हीरालाल पुत्र विशनचंद निवासी मेघा नांगल अंकित है।

यद्यपि दोनों ही दस्तावेज एक छायाप्रति हैं जो प्रोपर कस्टडी से प्रमाणित दस्तावेज भी प्राप्त किये जा सकते थे। इस कारण इनको अपील मीमो का भाग विधिक तौर पर नही माना जा सकता है। यदि संदर्भ के तौर पर लिया भी जाता है तो भी मृत्यु प्रमाण पत्र में

हीरालाल का मेघानांगल का निवासी अंकन है, जबकि टीसी की छायाप्रति में ग्राम पो0 घासोली का अंकन है।

इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट का बहस में कथन कि टीसी में अंकित छात्र संतोष, लडकी है और उसका पिता हीरालाल वही है जो मेघाबास का है, विश्वसनीय कथन नही है। इसी प्रकार वादी रेस्पो0 द्वारा केवल राज्य सरकार व तरतीबी रेस्पो0 को ही वाद में पक्षकार बनाया गया है।

अपीलांटा का अपील मीमो में हीरालाल की पुत्री होने का अंकन कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नही होने व संलग्न छायाप्रति में भी बहस में किये गये कथन की पुष्टि नही होने से अपीलांटा का विवादित आराजीयात में हित निहित नही होना पाये जाने से अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस प्रकार अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 खारिज होने से अपील बिना गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2010 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर